सूचना का अधिकार मैन्युअल

1. संगठन, कृत्य एवं कर्त्तव्यों की विशिष्टतायें –

कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार

बसाहटों के नियोजन के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं नगरों के नियोजन का कार्य किया जाता है, जिसके तहत नगरीय तथा प्रादेशिक विकास योजनायें बनाना, छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय अधोसंरचना विकास की योजना तैयार करना सम्मिलित है ।

उपरोक्त के अलावा संचालनालय तथा जिला कार्यालयों द्वारा विभिन्न विभागों को नियोजन संबंधी विषयों में परामर्श देने तथा समन्वय करने के दायित्व का भी निर्वहन करता है । संचालनालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण मध्यप्रदेश है ।

प्रमुख कार्यकलाप

1. प्रदेशों की प्रादेशिक योजनायें बनाना ।
2. नगरों के निवेश क्षेत्रों की विकास योजनायें बनाना।
3. विकास योजनाओं का पुर्नविलोकन एवं उपान्तरण।
4. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन ।
5. नगरों के अप्राधिकृत विकास पर नियंत्रण (प्रवर्तन)
6. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/म.प्र. गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मण्डल एवं अन्य विकास संस्थाओं को परियोजना तैयार करने में मार्गदर्शन ।
7. राज्य शासन एवं अन्य संस्थाओं को नये नगरों एवं औद्योगिक विकास केन्द्रों के व्यवस्थापन, भूमि नियोजन, स्थल चयन आदि में मार्गदर्शन एवं सहयोग।
8. राज्य शासन को भूमि विकास एवं प्रबंधन संबंधी नीतियों के निर्धारण में सहयोग ।